







मु० न०:- 202/2022

तारीखरजू:- 16.11.22

उनवान:- गुलबाई आदि बनाम मनोहर वगै०
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
16/12	<p>वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 02.12.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
2-12-22	<p>वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिवादी न० 4 पैरोकार द्वारा उपस्थित वाले तलबी दिनांक 9-1-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
3-2-23	<p>पत्रावली पेश हुई, वादी वकील उपस्थित प्रतिवादीगण के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए है; वारंते तलबी दिनांक 15.2.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
15/2/23	<p>वादी वकील/वादीगण उभय पक्ष उपस्थित पीठस्थित अधिकारी स्थानांतरण धीन पत्रावली गतानुसार दिनांक 24.3.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
24/3	<p>वादी वकील/वादीगण उभय पक्ष उपस्थित पीठस्थित अधिकारी प्रपण पर पेश हो पत्रावली गतानुसार दिनांक 5.5.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
5/5/23	<p>वादी वकील/वादीगण उभय पक्ष उपस्थित पीठस्थित अधिकारी प्रपण पर पेश हो पत्रावली गतानुसार दिनांक 9.6.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>

7331-35
16-11-22



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

उ
24

पत्रावली पेश हुई। उत्रप पक्षकारान व उनके वकील अनुपस्थित, न्यायालय द्वारा बार-2 आवाज डिलवाये जाने पर भी उत्रप पक्षकारान तथा उनके वकील अनुपस्थित रहने से वाडीगण द्वारा प्रस्तुत वाड फग स्थाई निषेधाज्ञा अडम हाजरी एवं अडम पेस्वी मे खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुभार लोक नम्बर से कम होकर दाखिल इफ्तर है।

(5)